यायालय न्यायनिर्णायक अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर कोटपूतली
(कोटपूतली–बहरोड)

पीठासीन अधिकारी :– ओम प्रकाश सहारण (आर.ए.एस)
प्रकरण संख्याः–114/2024

केशव कुमार गोयल, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्या. मुख्य चि. एवं स्वा. अधिकारी, अलवर।

–आवेदक

वनाम

श्री रामभरोस यादव पुत्र श्री बुधाराम यादव, उम्र 43 वर्ष, (खाद्य कारोबारकर्ता, मालिक एवं विक्रेता) मैसर्स मूण्डली दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति, अलवर रोड, मूण्डली, पो० हाजीपुर, तह० वानसूर, जिला अलवर निवासी ग्राम मूण्डली, पो० हाजीपुर, तह० वानसूर, जिला अलवर।

– अभियुक्त

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 (2) (11)/51 एफएसएस एक्ट 2006 रूल्स 2011

निर्णय

दिनांकः–7/1/26

1. उपर्युक्त उनवानी संस्थित प्रकरण परिवादी खाद्य सुरक्षा अधिकारी केशव कुमार गोयल द्वारा न्यायालय में इस आशय का पेश किया गया है कि मैं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 09.03.2023 को कार्यालय मुख्य चिकित्सा एव स्वास्थ्य अधिकारी अलवर में खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर कार्यरत था और मेरा गजट नोटिफिकेशन राजस्थान राजपत्र विशेषांक में दिनांक 26 जुलाई 2011 के गजट भाग 2(क) के क्रमांक 54 पर अंकित है जिसके अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी की शक्तियों प्रयुक्त करने के लिए अधिकृत किया गया है। श्रीमान् आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रणं, राज, जयपुर के आदेश क्रमांक 2714/01.09.2022 के द्वारा कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अलवर का कार्य क्षेत्र आवंटित किया हुआ है और अलवर जिले के अन्तर्गत आने वाले समस्त स्थानीय क्षेत्र मेरे कार्य क्षेत्र में आते है एवं राजस्थान राजपत्र के विशेषांक दिनांक 11/04/2012 के गजट भाग 2 (क) के द्वारा क्षेत्राधिकार प्रदान किया हुआ है। गजट नोटिफिकेशन, क्षेत्राधिकार नोटिफिकेशन एवं पदस्थापन कार्य क्षेत्र आवंटन आदेश की छायाप्रतियाँ न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।
2. यह है कि दिनांक 09.03.2023 को प्रातः 9:30 बजे मुस्तगीस वाहैसियत खाद्य सुरक्षा अधिकारी दौराने गश्त खादद्य पदार्थों की चैकिंग हेतु सामान नमूनीकरण बैग सहित जाँच

अति. जिला कलक्टर
कोटपूतली (कोटपूतली-बहरोड़)

दल के साथ मैसर्स मूण्डली दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति, अलवर रोड, मूण्डली, पो० हाजीपुर, तह० बानसूर, जिला अलवर स्थित दुग्ध संकलन एवं विक्रय केन्द्र/डेयरी पर पहुंचा। उक्त समय उक्त स्थल पर विक्रेता श्री रामभरोस यादव पुत्र श्री बुधाराम यादव स्वयं मौजूद रहकर खाद्य पदार्थ गाय का दूध आमजन को विक्री वास्ते रखे हुए थे। मैने उक्त विक्रेता को अपना परिचय देकर एवं परिचय पत्र दिखाकर उनसे उनका नाम एवं पता पूछा जिस पर गवाहन श्री बलवंत सिंह एवं श्री अशोक कुमार लखेरा की उपस्थिति में विक्रेता द्वारा अपना नाम श्री रामभरोस यादव पुत्र श्री बुधाराम यादव, उम्र 43 वर्ष, निवासी ग्राम मूण्डली, पो० हाजीपुर, तह० बानसूर, जिला अलवर का होना बताया एवं स्वयं को उक्त खाद्य कारोबार का मालिक होना बताया एवं मौके पर विक्रेता द्वारा अपने आधार कार्ड की छायाप्रति प्रस्तुत की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। जिस पर उक्त विक्रेता ने खाद्य पंजीयन नं. 22223011000010 दिनांक 09.03.2023 से 08.03. 2028 तक का जारी होना दिखाया एवं छायाप्रति प्रस्तुत की जो कि न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

3. यह है कि उक्त दुग्ध संकलन एवं विक्रय केन्द्र/डेयरी का निरीक्षण करने पर निरीक्षण के दौरान उक्त डेयरी पर एल्युमिनियम के 13 कैन में करीब 480 लीटर गाय का दूध आमजन को एवं अन्य बडे मिल्क चिलिंग सैन्टर पर विक्री वास्ते रखे में मिलावट का शक होने पर गवाहन श्री बलवंत सिंह एवं श्री अशोक कुमार लखेरा की उपस्थिति में विक्रेता श्री रामभरोस यादव को जरिये फार्म नं. 5ए (जिस पर विक्रेता एवं गवाहन के हस्ताक्षर एवं मेरे स्वंय केहस्ताक्षर है) सूचित करते हुए उक्त केनों के गाय का दूध को इनमें रखे स्टील के एक साफ प्लेंजर से हिलामिलाकर एकरूपकर इनमें से 2 लीटर गाय का दूध वास्ते नमूना जाँच हेतु एक साफ सूखे एवं खाली स्टील के जग में क्रय किया। जिसकी कीमत विक्रेता को रु 70/- (अक्षरे सत्तर रूपये मात्र) नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता एवं गवाहन के हस्ताक्षर एवं मेरे स्वंय के हस्ताक्षर है। फार्म नं. 5ए एवं रसीद माल खरीद न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

4. यह है कि नमूना जांच हेतु क्रय किये गये 2 लीटर गाय का दूध को विक्रेता एवं गवाहान को चार साफ सूखी एवं खाली प्लास्टिक की बोतले दिखाकर उक्त खरीदशुदा गाय का दूध को प्रत्येक बोतल में बराबर भरकर प्रत्येक बोतल में परीरक्षक फार्मेलीन की 40-40 बूंद डालकर एयरटाइट ढक्कन बन्द किया।

लेवल तैयार कर उन पर विक्रेता, गवाहन के हस्ताक्षर करवाकर व मैने स्वयं ने हस्ताक्षर कर प्रत्येक बोतल पर चिपकाकर प्रत्येक बोतल को अलग-अलग मोटे खाकी कागज में लपेटकर एवं किनारों को सफाई से मोड़कर गोंद से चिपकाकर प्रत्येक बोतल पर पेपर स्लिप कोड़ एवं सीरीयल नं. बी-8159 जो श्रीमान् डी. ओ. एवं मु. चि. एवं स्वा. अधिकारी अलवर द्वारा हस्ताक्षरित मेरे पास उपलब्ध थी, को चारों बोतलों पर नींचे से उपर तक पूरे राउण्ड पर गोंद से चिपकाकर मोटे मजबूत धागे से बांधकर नियमानुसार 4-4 जगह उपर नीचे एवं दोनों साइडों पर सील चपडी कर प्रत्येक सील्ड नमूने पर विक्रेता के हस्ताक्षर इस तरह करवाये कि आधे हस्ताक्षर पेपर स्लीप पर व आधे खाकी कागज पर आ गये एवं गवाहन व स्वयं ने हस्ताक्षर कर चारों सील्ड नमूना भागो को अपने जाप्तें में लिया।

अति. जिला कलक्टर
कोटपूतली (कोटपूतली-बहरोड़)

5. यह है कि मौके पर की गयी कार्यवाही की मौका फर्द रिपोर्ट तैयार कर उसे विक्रेता गवाहन को पढ़ाकर, सुनाकर उनके हस्ताक्षर करवाये एवं मैंने स्वयं ने हस्ताक्षर किये। फर्द रिपोर्ट न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

6. यह है कि कार्यालय में उपस्थित होकर फार्म नं. 6 की प्रतियां तैयार कर उन पर सील इम्प्रेशन उसी सील का लगाया जिसके द्वारा मौके पर नमूना सील मोहर किया था। नमूने की एक सील्ड बोतल मय फार्म नं० 6 की प्रति के एक आउटर कवर में सील मोहर कर एवं फार्म नं. 6 की दो प्रति अलग से एक लिफाफे में सील मोहर कर श्रीमान् खाद्य विश्लेषक, अलवर को जमा करवाकर नमूना जमा रसीद एवं फार्म नं. 6 की पुश्त पर रसीद प्राप्त की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

7. यह है कि नमूने की दो सील्ड बोतल (द्वितिय व तृतीय भाग) को मय फार्म नं० 6 की दो प्रतियों के एक आउटर कवर में सील मोहर कर एवं नमूने की एक सील्ड बोतल (चतुर्थ भाग) मय फार्म नं० 6 की प्रति के श्रीमान् डी.ओ. एवं मु. चि. एवं स्वा. अधिकारी अलवर को जमा करवाकर रसीदें प्राप्त की। जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

8. यह है कि उक्त गाय का दूध के नमूने की जांच रिपोर्ट उक्त विक्रेता को कार्यालय के रजिस्टर्ड पत्र क्रमांक 415 दिनांक 25.04.2023 द्वारा भिजवायी गयी एवं मुझे जरिये श्रीमान् डी.ओ. एवं मु. चि. एवं स्वा. अधिकारी अलवर के उक्त पत्र की प्रतिलिपि के द्वारा प्राप्त हुई। जांच रिपोर्ट के अनुसार उक्त नमूना एफएसएसए के मानकों के अनुसार नहीं होने से अवमानक खाद्य पदार्थ (Substandard Food) होना पाया गया है। जांच रिपोर्ट मय कवरिंग पत्र श्रीमान् डी.ओ. एवं मु. चि. एवं स्वा. अधिकारी अलवर न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

9. यह है कि मेरे द्वारा प्रकरण से संबंधित समस्त दस्तावेज श्रीमान अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अलवर को वास्ते अग्रिम आदेश हेतु पेश किये जिन्होने प्रकरण के समस्त दस्तावेजो का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर एवं अध्ययन मनन कर अपने अभियोजन स्वीकृति पत्र के द्वारा आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को उक्त प्रकरण मे न्यायनिर्णयन आवेदन श्रीमान् के समक्ष पेश करने हेतु प्राधिकृत किया है। उक्त अभियोजन स्वीकृति पत्र न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

10. यह है कि उक्त खाद्य कारोबारकर्ता द्वारा अवमानक खाद्य पदार्थ (Substandard Food) गाय का दूध की बिक्री कर एफएसएसए 2006 की धारा 26 (2) (ii) एवं नियम व विनियम 2011 का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 में वर्णित है। अतः उपरोक्त आवेदन श्रीमान के समक्ष पेश कर निवेदन है कि उक्त अभियुक्त को अधिक से अधिक जुर्माने से दण्डित किया जावे।

11. आवेदक द्वारा प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण की तामिल हेतु रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये बाद तामिल अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री समर सिंह यादव उपस्थित आकर वकालतनामा पेश किया। अप्रार्थी अधिवक्ता को जवाब हेतु अनेक अवसर दिये जाने पर भी जवाब पेश नहीं किया ना ही न्यायालय के समक्ष उपस्थित आया इसलिए अप्रार्थी का जवाब बंद कर एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। पत्रावली को बहस हेतु नियत किया गया।

अति. जिला कलक्टर
कोटपूतली (कोटपूतली-बहरोड़)

12. प्रार्थी पक्ष की ओर से उपस्थित सरकार पैरोकार की बहस सुनी गई। बहस पैरोकार सरकार ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि अप्रार्थी द्वारा अवमानक खाद्य पदार्थ गाय का दूध की विक्री कर एफएसएसए 2006 की धारा 26 (2) (ii) एवं नियम व विनियम 2011 का उल्लंघन किया है इसलिए अप्रार्थी को खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 में दण्डित किया जावें।

13. पत्रावली पर पैरोकार सरकार को सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया तथा सम्यन्धित कानून के परिपेक्ष्य में मनन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात से यह साफ जाहिर है कि अप्रार्थी/अभियुक्त द्वारा अवमानक खाद्य पदार्थ गाय का दूध की विक्री कर खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) का उल्लघंन किया है। अप्रार्थी अधिवक्ता की ओर से इस संबंध में कोई ठोस तथ्य प्रस्तुत नही हुये है, जिससे यह सावित हो सके उसके द्वारा ऐसा कोई कृत्य नहीं किया गया हो तथा अप्रार्थी वकील न्यायालय के समक्ष उपस्थित भी नहीं हुआ। अतः उक्त कृत्य के लिए अभियुक्त को अधिनियम की धारा 51 के तहत दण्डित किया जाना न्याय संगत प्रतित होता है। अतः अभियुक्त/अप्रार्थी श्री रामभरोस यादव पुत्र श्री बुधाराम यादव, उम्र 43 वर्ष, (खाद्य कारोवारकर्ता, मालिक एवं विक्रेता) मैसर्स मूण्डली दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति, अलवर रोड, मूण्डली, पो० हाजीपुर, तह० वानसूर, जिला अलवर निवासी ग्राम मूण्डली, पो० हाजीपुर, तह० वानसूर, जिला अलवर पर 25000/- पच्चीस हजार शास्ति आरोपित की जाती है, जो जरिये चालान एक माह के अन्दर बैंक में जमा कराकर रसीद चालान पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

यह निर्णय आज दिनांक 7.1.26 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास में सुनाया गया।

अति. जिला कलक्टर
न्याय निर्णायक अधिकारी
कोटपूतली (कोटपूतली-बहरोड़)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
कोटपूतली